पत्रांक- सं0सं0-02/उ0मि0/कैप्टिभ पावर प्लांट एवं डी0जी0सेट अनुदान/03-145/2015 ....

बिहार सरकार

उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक ....

विषयः- **औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2011 के अंतर्गत मेसर्स सोनामोती एग्रोटेक प्रा0 लि0, महुली रोड, करमलीचक, पटनासिटी को ₹2,75,41,356.00 (दो करोड़ पचहत्तर लाख एकतालीस हजार तीन सौ छप्पन रूपए मात्र) अनुदान के राशि की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति।**

आदेशः- स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम प्रक्षेत्र की औद्योगिक ईकाइयों को डी0जी0 सेट/कैप्टिव पावर प्लांट की स्थापना पर देय अनुदान हेतु उद्योग निदेशक की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक-27.08.2015 में लिए गए निर्णय तद्नुसार बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक -3656 दिनांक-08.09.15 के आलोक में मेसर्स सोनामोती एग्रोटेक प्रा0 लि0, महुली रोड, करमलीचक, पटनासिटी को ₹2,75,41,356.00 (दो करोड़ पचहत्तर लाख एकतालीस हजार तीन सौ छप्पन रूपए मात्र) कैप्टिव पावर प्लांट एवं डी0जी0 सेट मद में अनुदान के रूप में स्वीकृति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है :-

(i) ईकाई अनुदान प्राप्ति के पश्चात् 5 वर्षो तक कार्यरत रहेगी। यदि 5 वर्षो के अंदर ईकाई बिना किसी औचित्य के बंद होती है तो भुगतान की गई राशि सूद समेत ईकाई से वसूल की जाएगी।

(ii) ईकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों/ प्रमाण-पत्रों/ अभिलेखों के भविष्य में गलत पाए जाने एवं अनुदान की गणना में त्रुटि पाए जाने पर अनुदान की राशि वसूल कर ली जाएगी।

(iii) ईकाई डी0जी0 सेट/कैप्टिव पावर संयंत्र/गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत से उत्पादित ऊर्जा का उपयोग मात्र अपनी ईकाई के लिए करेगा।

2. उक्त राशि का व्यय वहन मांग-23 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2852- उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-80- सामान्य, लघु शीर्ष-102- औद्योगिक उत्पादकता, उपशीर्ष-0160-प्री-प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड - P285280102016O राज्य योजना स्कीम कोड-IND-5432 विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी में पुनर्विनियोग/अनुपूरक आगणन से उपबंधित एवं आवंटित राशि से की जाएगी।

क्र0प030

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन पटना से होगी। कृपया ड्राफ्ट पर नाम के साथ-साथ खाते का विवरण भी अंकित किया जाए।

5. इस राशि की निकासी "पूर्व प्राप्ति रसीद" पर कोषागार फार्म संख्या 25 पर की जाएगी।

6. इस राशि का भुगतान मेसर्स सोनामोती एग्रोटेक प्रा० लि०, महुली रोड, करमलीचक, पटनासिटी को डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से की जाएगी।

ह०/-
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना

ज्ञापांक-.................... पटना, दिनांक..........................

प्रतिलिपिः- कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया ड्राफ्ट पर नाम के साथ-साथ खाते का विवरण भी अंकित किया जाए।

ह०/-
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना

ज्ञापांक-..247............ पटना, दिनांक..19.1.16.......

प्रतिलिपिः- वित्त विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, बिहार, पटना/ महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ लेखा शाखा, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में /प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ योजना शाखा, प्रशाखा-01 (सरकार)/ आई० टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ मेसर्स सोनामोती एग्रोटेक प्रा० लि०, महुली रोड, करमलीचक, पटनासिटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना
18.1.16

Vishwanath section-2